रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269052
CG-DL-E-02012026-269052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947
No. 838] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसंबर, 2025

अधि० सं० 426/ रा.प्र.के.कृ.वि.(भी०सी०) पूसा.— 24 सितंबर 2025 को आयोजित प्रबंधन बोर्ड की 24वीं बैठक में की गई संस्तुति के अनुपालन में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के परिनियमों में कुलपति की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अंतर्गत उप-धारा 3(7) जोड़ने हेतु एक प्रस्ताव माननीया कुलाध्यक्ष (विजिटर) की सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात माननीया कुलाध्यक्ष (विजिटर) की सहमति पत्र संख्या CA-05/27/2025-CAU and ASRB दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरियट आई० डी० नोट नं० CIII - 07049/1/2025-CA-III दिनांक-10.12.2025 पर उपलब्ध है। तदनुसार, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के परिनियमों की धारा 3 अंतर्गत उप-धारा 3(7) को निम्नवत समावेशित किया जाता है:

डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि. परिनियम 2016 के धारा 3 के तहत कुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:

वर्तमान	संशोधन के बाद
(1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।	यथावत

(2) कुलपति, विश्वविद्यालयों के किसी प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य न हो। (3) कुलपति का यह देखने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। (4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा। (5) कुलपति को विश्वविद्यालयों में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा। (6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तारी शिक्षा परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।	
	(7) कुलपति को विश्वविद्यालय के समग्र हित में, विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, सभी प्रकार के कार्मिकों (कर्मचारियों / अधिकारियों) का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने की शक्ति होगी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सेक्शन 27(3) और 27(4) के तहत एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन किया गया है। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू होगा। डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि. एक्ट के सेक्शन 46 (1) के आवश्यकता अनुसार, इसका आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन होगा तदनुसार डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि. के परिनियमों, 2016 (DRPCAU, Statutes 2016) की धारा 3 के अंतर्गत उप-धारा 3(7) शामिल कर संशोधित माना जाएगा।

पुण्यव्रत सुविमलेंदु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./576/2025-26]

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2025

F. No. 426/RPCAU/(VC), Pusa—Consequent upon the resolution passed by the Board of Management in its 24th meeting held on 27.09.2025, followed by submission of the proposal for the "Assent" of the Hon'ble Visitor to insert a clause under powers and duties of the Vice-Chancellor as clause 3(7) in the RPCAU Statutes, the assent of the Hon'ble Visitor as communicated vide letter No. **CA-05/27/2025-CAU and ASRB** dated 16.12.2025 is available in President's Secretariate I.D. Note No. CIII-07049/1/2025-CA-III dated 10.12.2025 and accordingly the necessary insertion as clause 3(7) of the Statutes is presented below:

Powers and Duties of the Vice-Chancellor under Section 3 of RPCAU Statutes 2016:

Existing	After amendment
(1) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Board, the Academic Council, the Finance Committee, the Research Council and the Extension Education Council and shall, in the absence of the Chancellor, preside over the Convocations held for conferring degrees. (2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of such authority. (3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed, and he shall have all the powers necessary to ensure such observance. (4) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of all the authorities of the University. (5) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he may deem fit. (6) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board, the Academic Council, the Research Council, the Extension Education Council and the Finance Committee	Remains the same
	(7) The Vice-Chancellor shall have the power to transfer of all kinds of employee from one place to another within the jurisdiction of the University, in the overall interest of the University.

The amendment in the Statutes has been given effect in light of provision of the Act under clause 27(3) and 27 (4) of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University. This amendment shall take effect from the date of issue of this notification. As per requirement of the Act Under Section 46(1), the same shall be published in the official gazette and consequently the clause 3(7) is inserted in the DRPCAU Statutes 2016 under section 3 shall be considered as amended.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./576/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.02 16:02:45 +05'30'